

RAJYA SABHA

Monday, the 9th March, 1987/18
Phalguna, 1908 (Saka)

The House met at eleven of the Clock
Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*161. [The questioner (Shri Atal Bihari Vajpayee) was absent. For answer, vide col. 40 infra].

Voluntary Uniform Civil Code

*162. SHRI LAL K. ADVANI:

SHRI ASHWANI KUMAR:†

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether Government had announced sometime ago its decision to introduce voluntary Uniform Civil Code soon and strongly recommended the same as reported in the Hindustan Times of January 11, 1987 last;

(b) what is the progress made so far in this regard; and

(c) whether the draft of the Code is ready; if so, what are its main features?

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) Yes,
Sir.

(b) and (c) The Government is making an in depth study of the proposal of the Uniform Civil Code and the draft of the Code is yet to be finalised.

श्री अश्विनी कुमार : माननीय सभा-पति महोदय, मैंने अपने प्रश्न में सार्क के "वीमेन एण्ड ला" के ऊपर जो बर्क-

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ashwani Kumar.

शाप हुआ था, उसका जिक्र किया था, उसके बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा। मैं जानना चाहूंगा कि सार्क का जो रीजन का वीमेन एण्ड ला के ऊपर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्ष बेगम रसूल रोशन इरशाद, पूर्वी बांगला देश के प्रेसिडेंट की पत्नी थीं, उसमें क्या-क्या रिक्मण्डेशन दी गयी थीं और उन पर सरकार क्या सोच रही है?

श्री एच०आर० भारद्वाज : श्रीमन् जी, जो सार्क की डिस्कशन कुछ अखबार में पब्लिश हुई थी, उसके बारे में पूरी जानकारी अभी सरकार के पास नहीं है। लेकिन अखबार की जो रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया था कि यहां पर वीमेन के स्टेट्स के एलावेशन के बारे में पर्सनल-ला में यूनिफार्मिटी आनी चाहिए।... (व्यवधान)... उस तरफ मुझसे पहले ही जैसे मेरे सीनियर कुलीग ने कहा है यूनिफार्म सिविल कोड पर विचार हो रहा है। तो जो भी बातें सार्क में डिस्कशन हुई हैं, जब यह यूनिफार्म सिविल कोड का ड्रफ्ट पूर्ण रूप से तैयार हो जायेगा, उसमें ध्यान रखा जायेगा।

श्री अश्विनी कुमार : माननीय सभा-पति महोदय, टाइम्स आफ इण्डिया के 7 जुलाई में छापा है—

"The Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, indicated willingness to introduce legislation for a voluntary uniform civil code very soon. The relevant Bill was ready. It would mean that those covered by Muslim Personal Law can opt for the code on a voluntary basis.

और दूसरे पेट्रिशोट ने 23 अक्टूबर को छापा है—

"The Union Minister of Forests and Environment, Shri Z. R. Ansari has scotched reports, about the proposal for a uniform civil code in the country.

तो अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि यह जो दोनों में विरोधाभास है, इसमें क्या सत्य है और क्या असत्य है? सरकार की स्थिति क्या है? कृपया इसका स्पष्टीकरण मंत्री महोदय दें।

श्री एच० आर० भारद्वाज : श्रीमान् जी, जो यह हमारे लायक दोस्त हमारे प्रश्न के "ए" खण्ड को देखें, तो इसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है—“यस सर” जब यूनिफार्म सिविल कोड की पालिसी के ऊपर विचार हो रहा है तो इसमें कोई विरोध होने का सवाल नहीं। लेकिन जितना यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, उतनी ही गहराई में जाकर इस पर विचार हो रहा है। यदि इसका महत्व माननीय सदस्य जानते हों, जब पर्सनल-लाज के बारे में कोई भी निर्णय होता है तो उसमें पूरी गहराई से जाना पड़ता है। उसमें फंसला करने से कुछ लोग उफान विरोध भी करते हैं और कुछ चाहते भी हैं। तो इसमें पूर्ण रूप से, पूरी गहराई से विचार के बाद जो स्पष्ट रूप सामने पायेगा, उसे सदन के सामने रखा जायेगा।

श्री चतुरानन मिश्र : समापति महोदय, जहां तक यूनिफार्म सिविल कोड की बात है, यह एक अच्छा उद्देश्य है और हमारे संविधान में भी लिखित है, लेकिन यह मेटर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे संविधान में माइनोरिटीज के राइट्स को बहुत अच्छे ढंग से सुरक्षित किया गया है। मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि जब यह ड्राफ्ट बन रहा है तो उसमें जो माइनोरिटीज पोलिटिकल पार्टीज हैं उनका ध्यान रखा जा रहा है, उनको सरकार पहले नहीं ले लेगी क्या? यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूनिफार्म सिविल कोड के संबंध में अलग-अलग धारणाएं हैं, सब अपने-अपने दृष्टिकोण से उसकी चर्चा करते हैं, सरकार के पास पहले ही यह विचार आ जाय तो अच्छा होगा कि उस दिशा में हम धीरे-धीरे बढ़ें। इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार फारमेल्टीज स्टेज पर ड्राफ्ट के लिए पोलिटिकल पार्टीज से सहायता लेगी?

श्री एच० आर० भारद्वाज : श्रीमान् जी, कुछ विचार यूनिफार्म सिविल कोड के लिए बहुत सी संस्थाओं से आए हैं जिनका अध्ययन हो रहा है। जहां तक पोलिटिकल पार्टीजों का सवाल है, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा, कुछ पालिटिकल पार्टी तो इसमें पालिटिकल एड-

वांटेज के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, वह तो हम चाहते नहीं हैं। जैसे पहले सदस्य बोल रहे थे, इनका विचार हमेशा यह है कि कोई न कोई विरोधाभास करके उस सिस्टम को, जिस पर सीरियसली सोचा जा रहा है, खराब करें। लेकिन मैं इस बात की कद्र करता हूँ जैसा मिश्रा जी ने कहा, जो हर आदमी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है, जो सुझाव देना चाहता है, उसे हर समय हम लेना चाहेंगे, वह सुझाव चाहे प्राइवेट केपेसिटी में देना चाहे पार्टी के रूप में देना चाहे। क्योंकि यूनिफार्म सिविल कोड में महज जाना-पूरी करने की बात नहीं है, इसमें एक सुदृढ़ व्यवस्था बनानी है महिलाओं के बारे में, बुढ़ो-स्त्रियों के बारे में। तो कोई अच्छी चीज अगर हो सके तो वह देश के हित में होगी, इसलिए हमारे फोरफादर्स ने यह यूनिफार्म सिविल कोड का आइडिया दिया था। अगर आप देखें, यह कंस्टिचूशनल जैसे तरिफ्ड जूरिस्ट ने भी कहा है—स्टेज व स्टेज होने की और बड़े गहन अध्ययन करने की बात है। तो मैं माननीय सदस्य की भावना की कद्र करता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी कंप्लेंटेशन जरूरी होगा, वह लेंगे। हंप तो इस पर नेशन-वाइज डिवेट चाहते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि जिन दिशाओं में, होता नहीं है, हमारे पास है। जो बात कही वह सही कही है। यूनिफार्म सिविल कोड की दिशा में जो कंस्टिट्यूशनल, आक्यूगेशन है, उसकी तरफ हम धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। जैसी आपने अपनी जी की बात कही, उसके बारे में कहूँ, वह एक माइनोरिटीज के सदस्य होने के नाते पर्सनल ब्यूज कह सकते हैं। यह एक अच्छी बात है, यदि कोई दो चीज सामने आती हैं, माइनोरिटीज की ब्यू भी आती है, मेजोरिटी की ब्यूज भी आती है और पालिटिकल ब्यूज भी आती है, तो इससे अच्छा ढंग निकलेगा, अच्छा रंग निकलेगा। लेकिन यह दुषित करने की कोशिश हो और पोलिटिकल लाभ उठाने की कोशिश हो यह नहीं होना चाहिए।

SHRI M. S. GURUPADASWAMY:
Sir, this is a very important issue. When the founding fathers of the Constitution introduced this directive, they were very

clear in their mind that in India superstitions, blind traditions and customs and obscurantism should be discarded progressively. From this point of view they thought that the common civil code will help the process and give equal status to all citizens who live in India. It was a very laudable objective but up to now we have not been able to bring the common civil code. Sir, of late we have been talking of voluntary or involuntary civil code. I am not expressing any view on this, I am only drawing the attention of the hon. Law Minister to the fact that the founding fathers never thought in terms of voluntary or involuntary. So, I would like the Law Ministry to study this question.

Secondly, I would like the hon. Minister to assure the House, that since this is a progressive step, when they are going to prepare the Bill, finalise the details of the Bill, introduce the Bill and pass the Bill in Parliament.

SHRI ASOKE KUMAR SEN: Sir, since the hon. Member has asked for my views on the applicability of the proposed uniform civil code and he has made the statement that it was the contemplation of the founding fathers that it would not be voluntary, may I only inform him what Dr. Ambedkar said when article 44 of the Constitution was being debated? He has said, "It is perfectly possible that the future Parliament may make provision by way of making a beginning that the code shall apply only to those who make a declaration that they are prepared to be bound by it so that in the initial stage the application of the code may be purely voluntary." This is what we propose to do and the Prime Minister has repeatedly said by way of giving assurances to the minorities that the present laws of the religious minorities will not be affected by any compulsory legislation, without their consent.

कुमारी सईदा खातून: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन महिलाओं के लिए जो एंडवर्स पोजेशन का कानून बना है, जैसे विधवा महिलाएँ हैं या जिनका

डाइवोस हो चुका है उनकी प्रापर्टी पर दूसरे काबिज हो जाते हैं चाहे उन्होंने अपना तिनका तिनका चुनकर अपना आशियाना बनाया है, उनकी प्रापर्टी पर दूसरे लोग काबिज हो जाते हैं, या ऐसी प्रापर्टीज हैं जो उन्होंने अपने गुजारे के लिए किराए पर दी हुई हैं उन पर किराएदार काबिज हो जाते हैं, या उनके जो खेत हैं जो उन्होंने अधिया पर दिए हुए हैं काश्त करने के लिए, जब वे उनको वापस लेना चाहती हैं तो यह एंडवर्स पोजेशन का केस उनके आड़े आता है। तो मैं चाहूंगा कि उन महिलाओं के लिए खास तौर से उन महिलाओं के लिए इन कानूनों में कुछ तब्दीली उनके हक में की जा सकती है अथवा नहीं ?

MR. CHAIRMAN: Though it is not relevant, I will allow it out of chivalry.

श्री एच० आर० भारद्वाज : श्रीमान, जहाँ तक महिलाओं का अधिकारों का प्रश्न है, उनको सुरक्षा का प्रश्न है मैं माननीय सदस्यता की भावनाओं की कद्र करता हूँ लेकिन देश में जो कानून है उसके लिहाज से सिविल लिटिगेशन होगा तो कानून के लिहाज से आदमी और महिला में कोई फर्क नहीं होता है लेकिन महिलाओं की सहायता का जहाँ तक प्रश्न है उसमें हम जरूर सहयोग देंगे, लोगल एड के जरिए और दूसरे तरकों से।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Sir, an overwhelming majority of the Muslims in India is opposed to a uniform civil code and what the Prime Minister has said has been amply explained by the hon'ble Law Minister—that what he has said is voluntary uniform civil code. I would like to know from the hon. Minister, apart from the political parties that he wishes to consult, whether he has started consulting the religious leaders of Muslims and other communities—Christians, Parsis, Jews and others—in the formulation of the uniform civil code, because the Minister of State has correctly said that it is ticklish problem and we should not go ahead with it in haste; we should try to do something about it so that everybody is carried with it.

This is all the more important in view of the Ram Janambhoomi-Babri Mosque agitations going on at present.

SHRI ASOKE KUMAR SEN: As soon as the draft is ready, it is the desire of the Government that everybody will be consulted, particularly representatives of the minority communities. In the meantime I may inform Mr. Matto—I think he is aware of it—that sometime back the Prime Minister held a conference with religious leaders representing various shades of Muslim public opinion so far as personal laws are concerned and they assured the Prime Minister that they would be giving him a code of Muslim law, as soon as possible, according to their Shariat, so that we shall know then what it is because there was a divergence of opinion on what Muslim Law is, at the time of discussion on the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Bill, 1986. Even now many Muslims are propagating in the elections in West Bengal that the Government has completely killed the Muslim women and all the rest of it. Therefore in the meantime we are awaiting the Muslim minority leaders to give us a code of Muslim Law so that we can know what the Muslim Law is on the subject. It is the desire of the Government to consult every shade of public opinion as soon as the draft is ready.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: In the present day context when we are having a debate on secularism versus fundamentalism, religion out of politics, this is one of the most important issues. It must be realised that fundamentalism is fighting a last ditch losing battle against secularism and I have no doubt that secular forces are going to win this battle and vanquish fundamentalism. The hon. Law Minister is quite right, as Dr. Ambedkar had said while moving Art. 35, that it is going to be optional and voluntary, but in order to strengthen the forces of secularism, the Government itself must provide all opportunities for them to act in consonance with: (a) secularism and (b) Modernism. You look at the Indian Divorce Act. All the time we are talking of only one com-

munity. The Indian Divorce Act is so full of anomalies that without proving adultery a wife cannot get any relief. Even she may be treated with cruelty, she may be deserted and all sorts of matrimonial offences may be committed against her, but she has no grievance unless the husband is guilty of adultery. Luckily, today we have also on the List of Business an amendment of the Parsi Matrimonial Act. Therefore, many of these laws have become archaic and they need to be brought in tune with modern times and I think the Government should note it. I had moved a Resolution in 1982.

MR. CHAIRMAN: Now kindly put your question.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: May I request that the Government should go firmly ahead with this proposal for a uniform Civil Code and have it enacted in a time-bound frame?

MR. CHAIRMAN: It is a suggestion for action. Mr. Kadharsha.

SHRI M. KADHARSHA: Sir, the Civil Code will not result in a civil war. The honourable Minister referred to article 35 which later became article 44 of the Constitution. I can also refer to article 29 which says, "Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same." I would like to know the constitutional aspect of this uniform Civil Code. The country is already witnessing discussions and discontent among various sections of the people. So, the Government will only be opening a Pandora's Box. Is there no other priority? What is the necessity to have a uniform Civil Code at this juncture? Secondly, as far as the minorities are concerned, they feel they are very well governed by their own personal laws, and any such attempt will be construed as an interference in their religious affairs. So I would like to know from the honourable Minister whether the opinion of the minorities will also be ascertained before bringing in such a law in a hasty manner.

SHRI ASOKE KUMAR SEN: Sir, let me be categorical in saying that everybody's opinion will be respected and taken into account.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : माननीय सभापति जी मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि सरकार जब यह जानती है कि समान नागरिक संहिता नहीं बन सकती इसलिए कि मुस्लिम कम्युनिटी इस को दुश् एंड नेट पहने से ही विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध है और एक समय उन्होंने किया भी है एक बार नहीं अनेक बार इसका प्रदर्शककरण भी हुआ है। और तो और मंत्रिमंडल के सदस्यों में से किसी ने एक वक्त और किसी ने दूसरे वक्त बोल कर विरोध किया है। यह तक कि एक मंत्री ने तो यद भी खोया है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे कादर-शाह जी ने कहा कि अगर सरकार का फंडामेंटलिज्म के खिलाफ और धर्म निरपेक्षता की नीति का दृढ़तापूर्वक पालन करने का यदि संकल्प हो तब तो इस पर बात छोड़ें और अगर संकल्प सरकार का नहीं है और फंडामेंटलिज्म से नहीं लड़ सकते धर्म निरपेक्षता का निवारण नहीं कर सकते तो बात छोड़ने का कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है सरकार दूसरे लोगों को धर्म निरपेक्षता का पाठ पढ़ाने के लिए सिर्फ इस बात को उठाती है। कुछ करने का कोई संकल्प या कोई दृढ़ता दिखाने का कहीं पर भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया क्या सरकार ऐसा कोई कदम बता सकती है।

श्री एच०आर० भारद्वाज : माननीय सदस्य का आरोप विल्कुल निरर्थक है। जहाँ तक फंडामेंटलिस्ट्स एंटीमेंट से लड़ने का सवाल है सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है और समय-समय पर बेरियस इश्यूज पर सरकार का दृष्टिकोण हाऊस में आ चुका है। अब कुछ आदमी, कुछ माइनोरिटीज किस इशू पर किस बात पर साथ देते हैं या यूनिफार्म कामन सिविल कोड लाने में, जब तक हम इसे जानें नहीं तब तक हम कैसे कुछ कर सकते हैं। जैसा आपने कहा कि इसको बंद कर दें तो बंद करने से जो कस्टीट्यूशन में नेशनल आब्जेक्टिव्स हैं वे पूरे नहीं होते डायलाग से अगर कोई

बात बनती है और उसमें ओपन माइन्ड से डायलाग होता है तो उसको आपको प्रोत्साहन देना चाहिए। सरकार पर आरोप लगाकर आप अपनी रिस्पोंसिबिलिटी से मुक्त नहीं हो सकते। हर आदमी जो इस सदन में बैठा है चाहे वह किसी पार्टी से हो उसको अपने विचार रखने की आजादी है। दूसरी कम्युनल पार्टीज भी हैं। वे लोग चाहते हैं कि यह मसला तय न हों। हर आदमी का फज होता है कि अपना दृष्टिकोण रखे। मैं जानना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य का अपना दृष्टिकोण क्या है। (उपवधान)

New model cars by Maruti Udyog Limited

*163. **SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:**
SHRI RASHEED MASOOD:

Will the Minister of **INDUSTRY** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Maruti Udyog Limited propose to manufacture two new models of cars;

(b) if so, what are the details thereof stating the nature and extent of foreign collaboration, if any, in the venture; and

(c) what is its likely impact on the indigenition programme of Maruti and on the ancillary manufacturers with the level of imports remaining high with the introduction of new models of cars?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (PROF. K. K. TEWARY):

(a) and (b) Maruti Udyog Limited have submitted a proposal to Government for manufacturing a three box car with two options of engine, viz. 1000/1300 cc within their existing collaboration agreement with M/s. Suzuki Motor Co., Japan.

(c) It is proposed to utilise the existing network of Maruti's vendors to

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Satya Prakash Malaviya.